राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर

क्रमांकः एफ.10(15)निविदा/सा.भ./पवि/2023/ 8194 दिनांकः 07/08/2023

खुली बोली सूचना 213

पर्यटन भवन पर्यटन विभाग, मुख्यालय, जयपुर की पार्किंग में लगे हेए शैड की फाइबर शीट लगवाने एवं नया आयरन स्ट्रेक्चर विद् फाईबर शीट लगवाये जाने हेतु अधिकृत प्रदाता/सब डीलर/सेवा प्रदाता से सीमित बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (कर सहित)	**बोली प्रतिभूति राशि (रू.) 2 प्रतिशत**	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जारी किये जाने की तिथि	निविद जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	पार्किंग शैड कि फाइबर शीट लगवाने (लगभग 20 X 60 फीट) एवं नया आयरन स्ट्रेक्चर विद् फाईबर शीट लगाना (पुराने शेड के अनुसार)	802400/-	16048/-	200/-	07.08.2023	16.08.2023 1.00 पी.एम	16.08.2023 3.00 पी.एम

1. बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाइट "www.tourism.rajasthan.gov.in" अथवा "www.dipr.rajasthan.gov.in" अथवा sppp portal पर भी देखी व डाउनलोड की जाकर प्रस्तुत की जा सकती है।
2. विभाग में बोली दाता द्वारा मुहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी।
3. बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क (Non-refundable) राशि का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एवं Director, Department of Tourism जयपुर के पक्ष में बनाना होगा।
4. बिना बोली प्रतिभूति राशि के निविदा बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व पार्किंग में लगे शैड का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है।
6. इच्छुक बोलीदाता उपर्युक्त काम के लिए अपनी बोली प्रस्तुत कर सकता है। दर प्रस्ताव संबंधित कार्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में अंको व शब्दों में प्रस्तुत किये जावें।
7. प्रस्तुत बोली दरें समस्त कर सहित होगी।
8. MSME, SSI व रूग्ण फर्म होने पर प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(मो. सलीम खान)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर

क्रमांकः एफ.10(15)निविदा / सा.भ. / पवि / 2023 / 8194 दिनांकः 07/08/2023

विषयः– पर्यटन भवन पर्यटन विभाग, मुख्यालय, जयपुर की पार्किंग में लगे हेए शैड की फाइबर शीट लगवाने एवं नया आयरन स्ट्रेक्चर विद् फाईबर शीट लगवाये जाने हेतु दर संविदा।

1. बोलीदाता / संवेदक का नाम..
2. डाक का पता ....
3. फोन / मोबाईल नं. ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम..
6. IFSC CODE..
7. खाता संख्या ....
8. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी :–

क्र. सं.	पंजीकरण का विवरण	रजि. सं.	वर्ष का पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	माल एवं सेवाकर प्रमाण–पत्र (जी.एस.टी.)			
2.	आयकर प्रमाण–पत्र (पैन नं.)			
3.	कार्यानुभव			
4.	फर्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र			

9. बेलीदाता की अपनी अलग से कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
10. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसरण "http:/sppp.rajasthan.gov.in" एवं पर्यटन विभाग की विभागीय वेबसाइट www.tourism.rajasthan.gov.in पर भी बोली संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
11. बोलीदाता को अपना प्रस्ताव नियत अंतिम तिथि व समय तक निर्धारित प्रपत्र में जमा करानी होगी।
12. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र शुल्क तथा बोली प्रतिभूति शुल्क नियमानुसार जमा कराने होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर

बोली शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे अधिनियम व नियम कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं संबंध में वित विभाग, राजस्थान द्वारा जारी गाइडलाईन, अधिसूचना, परिपत्र, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को अधिनियम एवं नियम की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त अधिनियम एवं नियम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. बोली दस्तावेज निदेशालय पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, संजय मार्ग, जयपुर में भौतिक रूप से दिनांक 16.08.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा कराने होगें।
3. यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो बोली तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।
4. संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में विभाग को अन्य किसी भी संस्था/संवेदक से अनुमोदित संवेदक की जोखिम पर कार्य करवाने एवं नियमानुसार एल.डी. लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. फर्म/फर्म मालिक यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार/किसी भी राज्य सरकार अथवा इनके किसी विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा एक से अधिक बार कार्य को अधूरा छोडने अथवा संतोषजनक तरीके से पूर्ण नहीं करने पर शास्ति लगायी जा कर वसूल की गई हो अथवा ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
6. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
7. मूल्यांकन की कसौटी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
8. बोलीदाता को अपना दुरभाष नं. निविदा में देने होगे ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
9. बोली दरों में काट छांट नहीं की जावें।
10. बोली दरें पैन से भरी होनी चाहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावें।
11. सफल बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्चे पर राशि रू. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध निष्पादन करना होगा।
12. परिमापित नुकसानी, कम प्रंदाय, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए कटौति बिल राशि में से नियमानुसार काटी जायेगी।
13. कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) :-

    (अ) बोली आमंत्रण नोटिस में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता का बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 05 प्रतिशत राशि कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर के नाम से जमा करानी होगी।

    (ब) कार्य संपादन प्रतिभूति पर पर्यटन विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

14. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Secruity Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगाः–

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई–अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के समपहरण कराने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में Director, Department of Tourism पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के सामने), जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।

15. किसी भी तरह के वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

16. RTPP Act 2012 व RTPP Rule - 2013 तथा GF & AR के सभी प्रावधान इस निविदा पर लागू होंगे।

17. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

नाम	अजीत सिंह, उप निदेशक (सा. भ.)
कार्यालय का नाम	पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर
दूरभाष नं.	0141–2822836

(मो. सलीम खान)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

Scanned with CamScanner

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते हैं कि बोली आमंत्रण की समस्त जानकारी/ शर्तों को मैनें/हमने अच्छे तरह अध्ययन कर लिया है। मै/ हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मै/ हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, मेरी/हमारी प्रतिपूर्ति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with CamScanner

Annexure–A

कार्य का नाम :– पार्किंग शैड की फाइबर शीट लगवाने (लगभग 20 X 60 फीट) एवं नया आयरन स्ट्रेक्चर विद् फाईबर शीट लगाया (पुराने शैड के अनुसार)

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि रू. (समस्त कर सहित)
1.	पार्किंग शेड कि फाइबर शीट लगवाने (लगभग 20 X 60 फीट) एवं नया आयरन स्ट्रेक्चर विद् फाईबर शीट लगाना (पुराने शैड के अनुसार)	

(अक्षरे राशि रूपये...)

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Scanned with CamScanner